

15H11000001

बार कोड : पैन :

फॉर्म क्र. 15 एच

[धारा 197 ए (1C), 197 ए (1ए) और नियम 29 C देखें]

आयकर कानून 1961 की धारा 197 ए (1) और धारा 197 ए (1ए) के अंतर्गत कर कटौती के बिना कुछ प्राप्ति का दावा करने वाले व्यक्ति (कंपनी का फर्म नहीं) द्वारा की जाने वाली घोषणा.

भाग 1

1. असेसी (घोषणाकर्ता) का नाम		2. असेसी का पैन	
5. फ्लैट/डोर/ब्लॉक नं.		3. आयु	4. असेसमेंट वर्ष (जिसके लिए घोषणा की जानी है)
6. भवन का नाम		7. किस वॉर्ड / सर्कल में असेस किया गया.	
8. सड़क/गली/लेन		10. ए ओ कोड (पिछली बार जिसके तहत असेस किया गया था)	
9. क्षेत्र/इलाका		एरिया कोड	ए ओ टाइप
11. नगर/शहर/जिला		रेंज कोड	ए ओ क्र.
12. राज्य		14. पिछला असेसमेंट वर्ष जिसमें असेस किया गया.	
13. पिन		17. वर्तमान वॉर्ड/सर्कल	
15. ईमेल		19. वर्तमान ए ओ कोड (यदि उपरोक्त के समान नहीं हैं)	
16. फोन नं. (एसटीडी कोड सहित) और मोबाइल नं.		एरिया कोड	ए ओ टाइप
18. व्यवसाय / पेशे का नाम		रेंज कोड	ए ओ क्र.
20. आयकर के ज्युरिस्टिडिक्शनल मुख्य आयुक्त या आयकर आयुक्त (यदि पहले आयकर का आकलन नहीं किया गया.)		21. पिछले वर्ष की अनुमानित कुल आय जिसमें कॉलम 21 में वर्णित आय को शामिल किया जाना चाहिए. (कृपया संबंधित खाने में चिन्ह लगाएं)	
21. पिछले वर्ष की अनुमानित कुल आय जिसमें कॉलम 21 में वर्णित आय को शामिल किया जाना चाहिए.		अनुसूची I में संदर्भित शेअर्स का डिविडेंड <input type="checkbox"/>	
		अनुसूची II में संदर्भित प्रतिभूतियों पर ब्याज <input type="checkbox"/>	
		अनुसूची III में संदर्भित राशियों पर ब्याज <input type="checkbox"/>	
		अनुसूची IV में संदर्भित यूनितों से आय <input type="checkbox"/>	
		अनुसूची V में संदर्भित नेशनल सेविंग स्कीम से धारा 80 सीसीए (2)(ए) में संदर्भित निकासी की राशि. <input type="checkbox"/>	
22. नीचे वर्णित स्रोतों से अनुमानित कुल आय.			
23. निवेशों के विवरण जिसके संदर्भ में घोषणा की जा रही है : अनुसूची I			
शेयरों की संख्या	शेयरों की श्रेणी और प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य	शेयरों का कुल अंकित मूल्य	घोषणाकर्ता द्वारा शेयरअर्जित किए जाने की दिनांक(के) (दिन/माह/वर्ष)
अनुसूची II			
सिक्योरिटीज के विवरण	सिक्योरिटीज की संख्या	सिक्योरिटीज की राशि	घोषणाकर्ता द्वारा शेयरअर्जित किए जाने की दिनांक(के) (दिन/माह/वर्ष)
अनुसूची III			
उस व्यक्ति का नाम और पता जिससे ब्याज पर धनराशि दी गई	ब्याज पर दी गई राशि	दिनांक जब धनराशि ब्याज पर दी गई (दिन/माह/वर्ष)	अवधि जिसके लिए यह धनराशि ब्याज पर दी गई
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड © ग्राहक का पहचान पत्र :			
© एफडी संख्या :			
© एफडी संख्या :			
© एफडी संख्या :			
© एफडी संख्या :			
© एफडी संख्या :			
© एफडी संख्या :			
© एफडी संख्या :			
© एफडी संख्या :			



घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर

अनिवार्य: शाखा द्वारा भरा जाना है

फॉर्म 15 एच के लिए जांच सूची (60 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के लिए)

मैंने निम्नलिखित की जांच की है तथा पुष्टि करता हूँ	निशान लगाएं (✓ या ×)
ग्राहक की आय >= 60 वर्ष है (यदि आय 60 वर्ष से कम हो तो फॉर्म 15 जी भरें)	
ग्राहक के ग्राहक पहचान कार्ड के सामने बैंक रिकार्डों में पैन कार्ड संख्या को अद्यतन किया जाए	
पैन कार्ड की प्रतिलिपि संलग्न (यदि प्रणाली में अद्यतन न किया गया हो)	
ग्राहक ने छह स्थानों पर हस्ताक्षर किए हैं (द्वारा दर्शाया गया है)	
© चिन्हित क्षेत्र भरे जाने अनिवार्य हैं	
नियोजक का नाम	नियोजक की कोड संख्या
नियोजक के हस्ताक्षर	दिनांक

We understand your world

Branch
Seal with
Sign &
Date

9/12.04.2013

अनुसूची IV

म्यूचुअल फंड का नाम और पता	यूनिट्स की संख्या	यूनिट्स की श्रेणी और प्रत्येक यूनिट का अंकित मूल्य	यूनिट्स की विशिष्ट संख्या	यूनिट्स के संबंध में आय
----------------------------	-------------------	--	---------------------------	-------------------------

अनुसूची V

डाक-घर का विवरण जहां राष्ट्रीय बचत योजना के अंतर्गत खाता खोला हुआ है तथा खाता संख्या	दिनांक जब खाता खोला गया (दिन/माह/वर्ष)	खाते से आहरण की राशि
--	--	----------------------

घोषणकर्ता का हस्ताक्षर

घोषणा / सत्यापन

मैं / हम एतद्वारा घोषित करता हूँ / करते हैं कि मेरे / हमारे श्रेष्ठ ज्ञान और विश्वास के अनुसार ऊपर वर्णित जानकारी सही, पूर्ण है तथा वह सत्य वर्णन करती है और यह कि इस फॉर्म में संदर्भित आमदनी आयकर कानून 1961 की धारा 60 से 64 के तहत किसी अन्य व्यक्ति की कुल आय में शामिल करने योग्य नहीं है। मैं / हम यह भी घोषित करता हूँ / करते हैं कि मेरी / हमारी अनुमानित कुल आय कॉलम 21 में संदर्भित आय सहित, पर कर की गणना असेसमेंट वर्ष से संबंधित को समाप्त पिछले वर्ष के लिए आयकर कानून 1961 के प्रावधानों के अनुसार शून्य होगी। मैं / हम यह भी घोषित करता हूँ / करते हैं कि असेसमेंट वर्ष से संबंधित को समाप्त पिछले वर्ष के लिए कॉलम 22 में संदर्भित मेरी / हमारी आय अधिकतम राशि से ज्यादा नहीं होगी जो आयकर के लिए वसूलने योग्य नहीं है।

स्थान :

दिनांक :

घोषणकर्ता का हस्ताक्षर

भाग II

(उस व्यक्ति द्वारा उपयोग हेतु जिसके लिए घोषणा दी गई है.)

1. भाग I के कॉलम 22 में संदर्भित आय अदा करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम एचडीएफसी बैंक लि.	2. भाग II के कॉलम 1 में निर्देशित व्यक्ति का पैन AAACH2702H
3. पूरा पता एचडीएफसी बैंक हाउस, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई, महाराष्ट्र - 400013.	4. भाग II के कॉलम 1 में निर्देशित व्यक्ति का टैन MUMH03189E
5. ईमेल : support@hdfcbank.com	6. (फोन नं. (एसटीडी कोड सहित) और मोबाइल नं : 7. दर्जा देशी कंपनी
8. दिनांक जिस पर घोषणा दी गई (दिन/माह/वर्ष)	9. अवधि जिसके संदर्भ में डिविडेड घोषित किया गया या आय अदा / जमा की गई। 10. अदा आय की राशि 11. दिनांक जब आय अदा / जमा की गई (दिन / माह / वर्ष)
12. नेशनल सेविंग्स स्कीम के तहत डिविडेड / निकासी की घोषणा, विवरण या भुगतान का दिनांक दिन/माह/वर्ष लागू नहीं	13. नेशनल सेविंग स्कीम का अकाउंट नंबर जिसके निकासी की गई लागू नहीं

मुख्य आयुक्त या आयकर आयुक्त को अग्रेषित.....

स्थान :

दिनांक :

भाग I के कॉलम 21 में संदर्भित आय अदा करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का हस्ताक्षर

नोट:

- डाक-तार का पूरा पता दीजिए।
- घोषणा तीन प्रतियों में दी जाए।
- *जो लागू न हो उसे काट दें।
- सत्यापन (जाँच) पर हस्ताक्षर करने से पहले घोषणाकर्ता संतुष्टि कर ले कि घोषणा में दी गई जानकारी पूर्ण रूप से सत्य, सही और पूरी है। घोषणा-पत्र में झूठा कथन देने वाले व्यक्ति पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 277 के अंतर्गत अभियोग लगाया जा सकता है, तथा दोषी पाए जाने पर दण्ड दिया जाएगा-
(i) कर से बचने की मांग 25 लाख रुपये से अधिक हो जाने की स्थिति में छः महीने से अनधिक लेकिन सात वर्ष तक जुर्माने के साथ बढ़ाए जाने के योग्य कठोर कारावास;
(ii) किसी अन्य प्रकरण में, कठोर कारावास जो तीन माह से कम नहीं होगा लेकिन इसे जुर्माने के साथ दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
- भाग I के कॉलम 21 में संदर्भित आय का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति घोषणा को स्वीकार नहीं करेगा जहाँ धारा 197 ए के उप धारा (1) या उप धारा (1ए) में संदर्भित स्वरूप की आय राशि या ऐसी जमा या अदा की राशि का योग या पिछले वर्ष के दौरान जमा या अदा की जाने वाली संभावित राशि जिसमें शामिल की जानेवाली ऐसी आय अधिकतम राशि से अधिक हो जाती है, जो चैप्टर VI ए के तहत कर और कटौती लेने योग्य नहीं है, जिसके लिए घोषणाकर्ता पात्र हैं।

15H11000001

बार कोड : पैन :

फॉर्म क्र. 15 एच

[धारा 197 ए (1C), 197 ए (1ए) और नियम 29 C देखें]

आयकर कानून 1961 की धारा 197 ए (1) और धारा 197 ए (1ए) के अंतर्गत कर कटौती के बिना कुछ प्राप्ति का दावा करने वाले व्यक्ति (कंपनी का फर्म नहीं) द्वारा की जाने वाली घोषणा.

भाग 1

1. असेसी (घोषणाकर्ता) का नाम		2. असेसी का पैन	
5. फ्लैट/डोर/ब्लॉक नं.		3. आयु	4. असेसमेंट वर्ष (जिसके लिए घोषणा की जानी है)
6. भवन का नाम		7. किस वॉर्ड / सर्कल में असेस किया गया.	
8. सड़क/गली/लेन		10. ए ओ कोड (पिछली बार जिसके तहत असेस किया गया था)	
9. क्षेत्र/इलाका		एरिया कोड	ए ओ टाइप
11. नगर/शहर/जिला		रेंज कोड	ए ओ क्र.
12. राज्य		14. पिछला असेसमेंट वर्ष जिसमें असेस किया गया.	
13. पिन		17. वर्तमान वॉर्ड/सर्कल	
15. ईमेल		19. वर्तमान ए ओ कोड (यदि उपरोक्त के समान नहीं हैं)	
16. फोन नं. (एसटीडी कोड सहित) और मोबाइल नं.		एरिया कोड	ए ओ टाइप
18. व्यवसाय / पेशे का नाम		रेंज कोड	ए ओ क्र.
20. आयकर के ज्युरिस्टिक्शनल मुख्य आयुक्त या आयकर आयुक्त (यदि पहले आयकर का आकलन नहीं किया गया.)		21. पिछले वर्ष की अनुमानित कुल आय जिसमें कॉलम 21 में वर्णित आय को शामिल किया जाना चाहिए. (कृपया संबंधित खाने में चिन्ह लगाएं)	
		अनुसूची I में संदर्भित शेअर्स का डिविडेंड <input type="checkbox"/>	
		अनुसूची II में संदर्भित प्रतिभूतियों पर ब्याज <input type="checkbox"/>	
		अनुसूची III में संदर्भित राशियों पर ब्याज <input type="checkbox"/>	
		अनुसूची IV में संदर्भित यूनितों से आय <input type="checkbox"/>	
		अनुसूची V में संदर्भित नेशनल सेविंग स्कीम से धारा 80 सीसीए (2)(ए) में संदर्भित निकासी की राशि. <input type="checkbox"/>	
22. नीचे वर्णित स्रोतों से अनुमानित कुल आय.			
23. निवेशों के विवरण जिसके संदर्भ में घोषणा की जा रही है : अनुसूची I			
शेयरों की संख्या	शेयरों की श्रेणी और प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य	शेयरों का कुल अंकित मूल्य	घोषणाकर्ता द्वारा शेयरअर्जित किए जाने की दिनांक(के) (दिन/माह/वर्ष)
अनुसूची II			
सिक्योरिटीज के विवरण	सिक्योरिटीज की संख्या	सिक्योरिटीज की राशि	घोषणाकर्ता द्वारा शेयरअर्जित किए जाने की दिनांक(के) (दिन/माह/वर्ष)
अनुसूची III			
उस व्यक्ति का नाम और पता जिसे ब्याज पर धनराशि दी गई	ब्याज पर दी गई राशि	दिनांक जब धनराशि ब्याज पर दी गई (दिन/माह/वर्ष)	अवधि जिसके लिए यह धनराशि ब्याज पर दी गई
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड © ग्राहक का पहचान पत्र :			
© एफडी संख्या :			
© एफडी संख्या :			
© एफडी संख्या :			
© एफडी संख्या :			
© एफडी संख्या :			
© एफडी संख्या :			
© एफडी संख्या :			
© एफडी संख्या :			
© एफडी संख्या :			



घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर

HDFC BANK
 We understand your world

 Branch
 Seal with
 Sign &
 Date

9/12.04.2013

अनुसूची IV

म्यूचुअल फंड का नाम और पता	यूनिट्स की संख्या	यूनिट्स की श्रेणी और प्रत्येक यूनिट का अंकित मूल्य	यूनिट्स की विशिष्ट संख्या	यूनिट्स के संबंध में आय
----------------------------	-------------------	--	---------------------------	-------------------------

अनुसूची V

डाक-घर का विवरण जहां राष्ट्रीय बचत योजना के अंतर्गत खाता खोला हुआ है तथा खाता संख्या	दिनांक जब खाता खोला गया (दिन/माह/वर्ष)	खाते से आहरण की राशि
--	--	----------------------

घोषणकर्ता का हस्ताक्षर

घोषणा / सत्यापन

मैं / हम एतद्वारा घोषित करता हूँ / करते हैं कि मेरे / हमारे श्रेष्ठ ज्ञान और विश्वास के अनुसार ऊपर वर्णित जानकारी सही, पूर्ण है तथा वह सत्य वर्णन करती है और यह कि इस फॉर्म में संदर्भित आमदनी आयकर कानून 1961 की धारा 60 से 64 के तहत किसी अन्य व्यक्ति की कुल आय में शामिल करने योग्य नहीं है। मैं / हम यह भी घोषित करता हूँ / करते हैं कि मेरी / हमारी अनुमानित कुल आय कॉलम 2.1 में संदर्भित आय सहित, पर कर की गणना असेसमेंट वर्ष से संबंधित को समाप्त पिछले वर्ष के लिए आयकर कानून 1961 के प्रावधानों के अनुसार शून्य होगी। मैं / हम यह भी घोषित करता हूँ / करते हैं कि असेसमेंट वर्ष से संबंधित को समाप्त पिछले वर्ष के लिए कॉलम 2.2 में संदर्भित मेरी / हमारी आय अधिकतम राशि से ज्यादा नहीं होगी जो आयकर के लिए वसूलने योग्य नहीं है।

स्थान :

दिनांक :

घोषणकर्ता का हस्ताक्षर

भाग II

(उस व्यक्ति द्वारा उपयोग हेतु जिसके लिए घोषणा दी गई है.)

1. भाग I के कॉलम 2.2 में संदर्भित आय अदा करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम एचडीएफसी बैंक लि.	2. भाग II के कॉलम 1 में निर्देशित व्यक्ति का पैन AAACH2702H
3. पूरा पता एचडीएफसी बैंक हाउस, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई, महाराष्ट्र - 400013.	4. भाग II के कॉलम 1 में निर्देशित व्यक्ति का टैन MUMH03189E
5. ईमेल : support@hdfcbank.com	6. (फोन नं. (एसटीडी कोड सहित) और मोबाइल नं. : 7. दर्जा देशी कंपनी
8. दिनांक जिस पर घोषणा दी गई (दिन/माह/वर्ष)	9. अवधि जिसके संदर्भ में डिविडेड घोषित किया गया या आय अदा / जमा की गई। 10. अदा आय की राशि 11. दिनांक जब आय अदा / जमा की गई (दिन / माह / वर्ष)
12. नेशनल सेविंग्स स्कीम के तहत डिविडेड / निकासी की घोषणा, विवरण या भुगतान का दिनांक दिन/माह/वर्ष लागू नहीं	13. नेशनल सेविंग स्कीम का अकाउंट नंबर जिसके निकासी की गई लागू नहीं

मुख्य आयुक्त या आयकर आयुक्त को अग्रेषित.....

स्थान :

दिनांक :

भाग I के कॉलम 2.1 में संदर्भित आय अदा करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का हस्ताक्षर

नोट:

- डाक-तार का पूरा पता दीजिए।
- घोषणा तीन प्रतियों में दी जाए।
- *जो लागू न हो उसे काट दें।
- सत्यापन (जाँच) पर हस्ताक्षर करने से पहले घोषणाकर्ता संतुष्टि कर ले कि घोषणा में दी गई जानकारी पूर्ण रूप से सत्य, सही और पूरी है। घोषणा-पत्र में झूठा कथन देने वाले व्यक्ति पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 277 के अंतर्गत अभियोग लगाया जा सकता है, तथा दोषी पाए जाने पर दण्ड दिया जाएगा-
(i) कर से बचने की मांग 25 लाख रुपये से अधिक हो जाने की स्थिति में छ: महीने से अनधिक लेकिन सात वर्ष तक जुर्माने के साथ बढ़ाए जाने के योग्य कठोर कारावास;
(ii) किसी अन्य प्रकरण में, कठोर कारावास जो तीन माह से कम नहीं होगा लेकिन इसे जुर्माने के साथ दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
- भाग I के कॉलम 2.1 में संदर्भित आय का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति घोषणा को स्वीकार नहीं करेगा जहाँ धारा 197 ए के उप धारा (1) या उप धारा (1ए) में संदर्भित स्वरूप की आय राशि या ऐसी जमा या अदा की राशि का योग या पिछले वर्ष के दौरान जमा या अदा की जाने वाली संभावित राशि जिसमें शामिल की जानेवाली ऐसी आय अधिकतम राशि से अधिक हो जाती है, जो चैप्टर VI ए के तहत कर और कटौती लेने योग्य नहीं है, जिसके लिए घोषणाकर्ता पात्र हैं।

अस्वीकरण

- फॉर्म 15 एच केवल 60 वर्ष से अधिक या समान आयु के व्यक्तियों द्वारा भरा जाना है (यदि आयु 60 वर्ष से कम हो तो फॉर्म 15 जी भरें)
- यदि पैन के विवरण बैंक के रिकार्डों में अद्यतन नहीं किए गए हैं तो टीडीएस का छूट चिन्हित नहीं किया जाएगा।
- टीडीएस का छूट इस फॉर्म के जमा करने की तिथि से चिन्हित किया जाएगा।
- स्रोत पर काटा गया कर जिसकी कटौती पहले से ही की गई हो, वापस नहीं किया जाएगा तथा आयकर विभाग से मांगा जाएगा।
- प्रत्येक नए वित्तीय वर्ष में वित्तीय वर्ष के आरंभ में नया फॉर्म 15एच जमा किया जाना आवश्यक है।
- फॉर्म 15एच तीन प्रतियों में जमा किया जाना आवश्यक है।
- इस बात पर ध्यान दिए बिना कि ब्याज आयकर विभाग द्वारा निर्दिष्ट सीमा से अधिक हो गया है, एक बार फॉर्म 15एच जमा किए जाने के बाद स्रोत पर कर कटौती अनुप्रयोज्य नहीं होगी। एक बार फॉर्म 15एच जमा किए जाने के बाद अनुवर्ती सावधि जमाओं के लिए इसकी आवश्यकता नहीं होगी।
- फॉर्म 15एच के विलंब से या गैर-प्रस्तुत या गलत प्रस्तुत किए जाने के कारण उत्पन्न किसी परिणाम या हानि के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।
- मैं/हम पूर्णतया समझते हैं कि पैन के गलत उद्घरण के, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272बी के अंतर्गत दंडात्मक परिणाम हो सकते हैं तथा पैन के गलत उद्घरण के कारण उत्पन्न किसी भी परिणाम के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं है।

15H11000001

बार कोड : पैन :

फॉर्म क्र. 15 एच

[धारा 197 ए (1C), 197 ए (1ए) और नियम 29 C देखें]

आयकर कानून 1961 की धारा 197 ए (1) और धारा 197 ए (1ए) के अंतर्गत कर कटौती के बिना कुछ प्रासियों का दावा करने वाले व्यक्ति (कंपनी का फर्म नहीं) द्वारा की जाने वाली घोषणा.

भाग 1

1. असेसी (घोषणाकर्ता) का नाम		2. असेसी का पैन	
5. फ्लैट/डोर/ब्लॉक नं.		3. आयु	4. असेसमेंट वर्ष (जिसके लिए घोषणा की जानी है)
6. भवन का नाम		7. किस वॉर्ड / सर्कल में असेस किया गया.	
8. सड़क/गली/लेन		10. ए ओ कोड (पिछली बार जिसके तहत असेस किया गया था)	
9. क्षेत्र/इलाका		एरिया कोड	ए ओ टाइप
11. नगर/शहर/जिला		रेंज कोड	ए ओ क्र.
12. राज्य		14. पिछला असेसमेंट वर्ष जिसमें असेस किया गया.	
13. पिन		17. वर्तमान वॉर्ड/सर्कल	
15. ईमेल		19. वर्तमान ए ओ कोड (यदि उपरोक्त के समान नहीं हैं)	
16. फोन नं. (एसटीडी कोड सहित) और मोबाइल नं.		एरिया कोड	ए ओ टाइप
18. व्यवसाय / पेशे का नाम		रेंज कोड	ए ओ क्र.
20. आयकर के ज्युरिस्टिक्शनल मुख्य आयुक्त या आयकर आयुक्त (यदि पहले आयकर का आकलन नहीं किया गया.)		21. पिछले वर्ष की अनुमानित कुल आय जिसमें कॉलम 21 में वर्णित आय को शामिल किया जाना चाहिए. (कृपया संबंधित खाने में चिन्ह लगाएं)	
		अनुसूची I में संदर्भित शेअर्स का डिविडेंड <input type="checkbox"/>	
		अनुसूची II में संदर्भित प्रतिभूतियों पर ब्याज <input type="checkbox"/>	
		अनुसूची III में संदर्भित राशियों पर ब्याज <input type="checkbox"/>	
		अनुसूची IV में संदर्भित यूनियों से आय <input type="checkbox"/>	
		अनुसूची V में संदर्भित नेशनल सेविंग स्कीम से धारा 80 सीसीए (2)(ए) में संदर्भित निकासी की राशि. <input type="checkbox"/>	
22. नीचे वर्णित स्रोतों से अनुमानित कुल आय.			
23. निवेशों के विवरण जिसके संदर्भ में घोषणा की जा रही है :		अनुसूची I	
शेयरों की संख्या	शेयरों की श्रेणी और प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य	शेयरों का कुल अंकित मूल्य	घोषणाकर्ता द्वारा शेयरअर्जित किए जाने की दिनांक(के) (दिन/माह/वर्ष)
अनुसूची II			
सिक्योरिटीज के विवरण	सिक्योरिटीज की संख्या	सिक्योरिटीज की राशि	घोषणाकर्ता द्वारा शेयरअर्जित किए जाने की दिनांक(के) (दिन/माह/वर्ष)
अनुसूची III			
उस व्यक्ति का नाम और पता जिसे ब्याज पर धनराशि दी गई	ब्याज पर दी गई राशि	दिनांक जब धनराशि ब्याज पर दी गई (दिन/माह/वर्ष)	अवधि जिसके लिए यह धनराशि ब्याज पर दी गई
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड © ग्राहक का पहचान पत्र :			
© एफडी संख्या :			
© एफडी संख्या :			
© एफडी संख्या :			
© एफडी संख्या :			
© एफडी संख्या :			
© एफडी संख्या :			
© एफडी संख्या :			
© एफडी संख्या :			



घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर

We understand your world

Branch
Seal with
Sign &
Date

9/12.04.2013

अनुसूची IV

न्यूअल फंड का नाम और पता	यूनिट्स की संख्या	यूनिट्स की श्रेणी और प्रत्येक यूनिट का अंकित मूल्य	यूनिट्स की विशिष्ट संख्या	यूनिट्स के संबंध में आय
--------------------------	-------------------	--	---------------------------	-------------------------

अनुसूची V

डाक-घर का विवरण जहां राष्ट्रीय बचत योजना के अंतर्गत खाता खोला हुआ है तथा खाता संख्या	दिनांक जब खाता खोला गया (दिन/माह/वर्ष)	खाते से आहरण की राशि
--	--	----------------------

घोषणकर्ता का हस्ताक्षर

घोषणा / सत्यापन

मैं / हम एतद्वारा घोषित करता हूँ / करते हैं कि मेरे / हमारे श्रेष्ठ ज्ञान और विश्वास के अनुसार ऊपर वर्णित जानकारी सही, पूर्ण है तथा वह सत्य वर्णन करती है और यह कि इस फॉर्म में संदर्भित आमदनी आयकर कानून 1961 की धारा 60 से 64 के तहत किसी अन्य व्यक्ति की कुल आय में शामिल करने योग्य नहीं है. मैं / हम यह भी घोषित करता हूँ / करते हैं कि मेरी / हमारी अनुमानित कुल आय कॉलम 21 में संदर्भित आय सहित, पर कर की गणना असेसमेंट वर्ष से संबंधित को समाप्त पिछले वर्ष के लिए आयकर कानून 1961 के प्रावधानों के अनुसार शून्य होगी. मैं / हम यह भी घोषित करता हूँ / करते हैं कि असेसमेंट वर्ष से संबंधित को समाप्त पिछले वर्ष के लिए कॉलम 22 में संदर्भित मेरी / हमारी आय अधिकतम राशि से ज्यादा नहीं होगी जो आयकर के लिए वसूलने योग्य नहीं है.

स्थान :

दिनांक :

घोषणकर्ता का हस्ताक्षर

भाग II

(उस व्यक्ति द्वारा उपयोग हेतु जिसके लिए घोषणा दी गई है.)

1. भाग I के कॉलम 22 में संदर्भित आय अदा करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम एचडीएफसी बैंक लि.	2. भाग II के कॉलम 1 में निर्देशित व्यक्ति का पैन AAACH2702H
3. पूरा पता एचडीएफसी बैंक हाउस, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई, महाराष्ट्र - 400013.	4. भाग II के कॉलम 1 में निर्देशित व्यक्ति का टैन MUMH03189E
5. ईमेल : support@hdfcbank.com	6. (फोन नं. (एसटीडी कोड सहित) और मोबाइल नं. : 7. दर्जा देशी कंपनी
8. दिनांक जिस पर घोषणा दी गई (दिन/माह/वर्ष)	9. अवधि जिसके संदर्भ में डिविडेड घोषित किया गया या आय अदा / जमा की गई. 10. अदा आय की राशि 11. दिनांक जब आय अदा / जमा की गई (दिन / माह / वर्ष)
12. नेशनल सेविंग्स स्कीम के तहत डिविडेड / निकासी की घोषणा, विवरण या भुगतान का दिनांक दिन/माह/वर्ष लागू नहीं	13. नेशनल सेविंग स्कीम का अकाउंट नंबर जिसके निकासी की गई लागू नहीं

मुख्य आयुक्त या आयकर आयुक्त को अग्रेषित.....

स्थान :

दिनांक :

भाग I के कॉलम 21 में संदर्भित आय अदा करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का हस्ताक्षर

नोट:

- डाक-तार का पूरा पता दीजिए।
- घोषणा तीन प्रतियों में दी जाए।
- *जो लागू न हो उसे काट दें।
- सत्यापन (जाँच) पर हस्ताक्षर करने से पहले घोषणाकर्ता संतुष्टि कर ले कि घोषणा में दी गई जानकारी पूर्ण रूप से सत्य, सही और पूरी है। घोषणा-पत्र में झूठा कथन देने वाले व्यक्ति पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 277 के अंतर्गत अभियोग लगाया जा सकता है, तथा दोषी पाए जाने पर दण्ड दिया जाएगा-
(i) कर से बचने की मांग 25 लाख रुपये से अधिक हो जाने की स्थिति में छ: महीने से अनधिक लेकिन सात वर्ष तक जुर्माने के साथ बढ़ाए जाने के योग्य कठोर कारावास;
(ii) किसी अन्य प्रकरण में, कठोर कारावास जो तीन माह से कम नहीं होगा लेकिन इसे जुर्माने के साथ दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
- भाग I के कॉलम 21 में संदर्भित आय का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति घोषणा को स्वीकार नहीं करेगा जहाँ धारा 197 ए के उप धारा (1) या उप धारा (1ए) में संदर्भित स्वरूप की आय राशि या ऐसी जमा या अदा की राशि का योग या पिछले वर्ष के दौरान जमा या अदा की जाने वाली संभावित राशि जिसमें शामिल की जानेवाली ऐसी आय अधिकतम राशि से अधिक हो जाती है, जो चैप्टर VI ए के तहत कर और कटौती लेने योग्य नहीं है, जिसके लिए घोषणाकर्ता पात्र हैं.

अस्वीकरण

- फॉर्म 15 एच केवल 60 वर्ष से अधिक या समान आयु के व्यक्तियों द्वारा भरा जाना है (यदि आयु 60 वर्ष से कम हो तो फॉर्म 15 जी भरें)
- यदि पैन के विवरण बैंक के रिकार्डों में अद्यतन नहीं किए गए हैं तो टीडीएस का छूट चिन्हित नहीं किया जाएगा।
- टीडीएस का छूट इस फॉर्म के जमा करने की तिथि से चिन्हित किया जाएगा।
- स्रोत पर काटा गया कर जिसकी कटौती पहले से ही की गई हो, वापस नहीं किया जाएगा तथा आयकर विभाग से मांगा जाएगा।
- प्रत्येक नए वित्तीय वर्ष में वित्तीय वर्ष के आरंभ में नया फॉर्म 15एच जमा किया जाना आवश्यक है।
- फॉर्म 15एच तीन प्रतियों में जमा किया जाना आवश्यक है।
- इस बात पर ध्यान दिए बिना कि ब्याज आयकर विभाग द्वारा निर्दिष्ट सीमा से अधिक हो गया है, एक बार फॉर्म 15एच जमा किए जाने के बाद स्रोत पर कर कटौती अनुप्रयोज्य नहीं होगी। एक बार फॉर्म 15एच जमा किए जाने के बाद अनुवर्ती सावधि जमाओं के लिए इसकी आवश्यकता नहीं होगी।
- फॉर्म 15एच के विलंब से या गैर-प्रस्तुत या गलत प्रस्तुत किए जाने के कारण उत्पन्न किसी परिणाम या हानि के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।
- मैं/हम पूर्णतया समझते हैं कि पैन के गलत उद्घरण के, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272बी के अंतर्गत दंडात्मक परिणाम हो सकते हैं तथा पैन के गलत उद्घरण के कारण उत्पन्न किसी भी परिणाम के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं है।